

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लि० झांसी द्वारा 200 एमएम डाया कार्बन स्टील पाईप लाईन बिछाने हेतु झांसी-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 से 93.500 (कुल 7.500 किमी०) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे० संरक्षित वनभूमि एवं झांसी-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 के किमी० संख्या-6.500 से 18.200 (कुल 11.700 किमी०) तक प्रभावित 0.351 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.576 हे० संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन ब्लाक में प्रभावित 0.06 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल प्रभावित 0.636 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईपलाइन/143751/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-214/81-2-2023-800(340)/2022 दिनांक 19 मई 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूट टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

Signed by आशीष तिवारी

हस्ताक्षर

Date: 18-05-2023 18:00:05

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।